Order Sheet (subsequent)

राजस्थान राज्य बनाम मोनू उर्फ रूपचंद वगै०

सेशन प्रकरण संख्या : 39/2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
18.06.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मोनू उर्फ रूपचंद, जीतू उर्फ जितेन्द्र, महेन्द्र, रघुवीर, अमरलाल व पवन गुर्जर मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा–351 बीएनएसएस (313 सीआरपीसी) लिये गये, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुए उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया जाना जाहिर करते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करने को अवसर चाहा। अभियुक्तगण को धारा–437क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 25,000/– का स्वयं का बंधपत्र व इसी कदर राशि की जमानत पेश कर तस्दीक करवाये जाने का आदेश दिया जाता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा मुचलके पेश करने को अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य सफाई एवं पेश होने मुचलके धारा–437क सीआरपीसी हेतु दिनांक 23.06.2026 को पेश हो। सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)	अमरलाल रूपचंद रघुवीर पवन महेन्द्र जितेन्द्र
23.06.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मोनू उर्फ रूपचंद, जीतू उर्फ जितेन्द्र, महेन्द्र, रघुवीर, अमरलाल व पवन गुर्जर मय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य सफाई में कोई गवाह पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई। अभियुक्तगण की ओर से धारा–437क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत मुचलके पूर्व में दिनांक 18.06.2026 को प्रस्तुत किये जा चुके है, जो बाद जांच संतोषप्रद पाये जाने पर शामिल पत्रावली किये गये हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस अन्तिम को अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 30.06.2026 को पेश हो। सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)	अमरलाल रूपचंद महेन्द्र जितेन्द्र रघुवीर पवन